राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 182/2004

रमेश चन्द्र शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.02.2004
आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आदेश दिनांक 25.03.2003 को अपास्त फरमाया जावे और रिक्ति वर्ष 1996–97 के विरूद्ध आरएएस के रिक्त पदों का सही निर्धारण किया जावे तथा उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध आरएएस के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे और यदि अपीलार्थी पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1980 में तहसीलदार के पद पर आदेश दिनांक 19.12.1983 के द्वारा हुई थी। आरएएस के पदों पर नियुक्ति 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं 25 प्रतिशत राजस्थान तहसीलदार सेवा द्वारा की जाती है। परंतु अधिसूचना दिनांक 21.08.1997 के द्वारा उक्त अनुपात में परिवर्तन कर सीधी भर्ती द्वारा 66.7 प्रतिशत एवं 33.3 प्रतिशत राजस्थान तहसीलदार सेवा द्वारा आरएएस के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। उनका कथन है कि श्री सुधाकर शांडील जो मार्च, 1995 में सेवानिवृत्त हुए और राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.08.1985 के अनुसार यदि कोई अधिकारी/कार्मिक 31 मार्च को सेवानिवृत्त होता है तो 01 अप्रेल को उस

रिक्त पद को रिक्तियों में गिना जावेगा और इस प्रकार उक्त रिक्ति वर्ष 1996–97 की है। वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में 33 आरएएस के नये पद सृजित किए गए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2861/1998 एवं 4537/1998 में आदेश दिनांक 18.08.1999 पारित किया गया, जिसमें आरएएस कैडर स्ट्रेंथ को स्पष्ट किया गया तथा राज्य सरकार को आरटीएस आरक्षित कोटा से तय अनुपात आधार पर नियमानुसार सही रिक्तियों का निर्धारण करने हेतु निर्देश दिए, जिसमें सभी प्रकार की रिक्तियों को जोडने का निर्देश दिया और इस प्रकार वर्ष 1996–97 में 16 पद और उपलब्ध हो गए, परंतु विभाग द्वारा उनका नियम 1954 के नियम 9 के अंतर्गत वर्ष 1996–97 की रिक्तियों के विरूद्ध आरएएस के रिक्त पदों का सही निर्धारण नहीं किया गया और न ही उक्त वर्ष में डीपीसी की गई। अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 1997–98 के विरूद्ध आरएएस के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 06.01.1998 द्वारा प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी वर्ष 1996–97 के विरूद्ध आरएएस के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था। परंतु विभाग द्वारा नियमानुसार उक्त रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा विभाग को अभ्यावेदन भी दिया गया, जिसमें वर्ष 1996–97 में आरएएस के पद जो सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, नये सृजित पदों आदि द्वारा हुए रिक्त पदों की गणना करते हुए उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध कुल आरएएस के रिक्त पदों का उल्लेख विभाग को दिया गया, परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया और नियम विरूद्ध तरीके से रिक्ति वर्ष 1996–97 में आरएएस के रिक्त पदों का निर्धारण किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित होना पड़ा, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आदेश दिनांक 25.03.2003 को अपास्त फरमाया जावे और रिक्ति वर्ष 1996–97 के विरूद्ध आरएएस के रिक्त पदों का सही निर्धारण किया जावे तथा उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध आरएएस के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे और यदि अपीलार्थी पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि विभाग द्वारा आरएएस के रिक्त पदों का

रिक्ति वर्ष 1996–97 के विरूद्ध नियमानुसार एवं अनुपात के अनुसार ही रिक्तियों का निर्धारण किया गया। अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी कार्मिक को आरएएस के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के फैसले को भी अपेक्स कोर्ट में चुनौती दी गई है। आरएएस के कुल 630 पद हैं, जिसमें 17 अधिकारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं, जिनका भी डीपीसी द्वारा पूर्व वर्ष के विरूद्ध नियमित चयन किया गया है और रिक्ति वर्ष 1996–97 में उपलब्ध आरएएस के रिक्त पदों का नियमानुसार सही निर्धारण किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि श्री शांडील एवं आर. सी. तिवारी के पदों को छोड़कर वर्ष 1996–97 में 14 रिक्त पद उपलब्ध हैं और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि 17 अधिकारी अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार रिक्त पदों की गणना न करते हुए उचित रूप से वर्ष 1996–97 की रिक्तियों के विरूद्ध आरएएस के रिक्त पदों का निर्धारण सही नहीं किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के उल जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि रिक्ति वर्ष 1996–97 के विरूद्ध आरएएस के पद पर पदोन्नति के लिए नियमानुसार ही वरिष्ठता सूची तैयार की गई और वरिष्ठतानुसार ही आरएएस के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा जारी अनुपात के आधार पर ही उक्त पद के सही गणना करते हुए आरएएस के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। रिक्ति वर्ष 1996–97 में जितने पद आरएएस के रिक्त उपलब्ध थे, अनुपात के आधार पर उतने ही पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1980 में तहसीलदार के पद पर आदेश दिनांक

19.12.1983 के द्वारा हुई थी। अधिसूचना दिनांक 21.08.1997 के द्वारा आरएएस के रिक्त पदों पर नियुक्ति नियम में अनुपात में परिवर्तन कर सीधी भर्ती द्वारा 66.7 प्रतिशत एवं 33.3 प्रतिशत राजस्थान तहसीलदार सेवा द्वारा आरएएस के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने का नियम किया गया। श्री सुधाकर शांडील जो मार्च, 1995 में सेवानिवृत्त हुए और राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.08.1985 के अनुसार यदि कोई अधिकारी/कार्मिक 31 मार्च को सेवानिवृत्त होता है तो 01 अप्रेल को उस रिक्त पद को रिक्तियों में गिना जावेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2861/1998 एवं 4537/1998 में आदेश दिनांक 18.08.1999 पारित किया गया, जिसमें आरएएस कैडर स्ट्रेंथ को स्पष्ट किया गया तथा राज्य सरकार को आरटीएस आरक्षित कोटा से तय अनुपात आधार पर नियमानुसार सही रिक्तियों का निर्धारण करने हेतु निर्देश दिए, जिसमें सभी प्रकार की रिक्तियों को जोडने का निर्देश दिया। वर्ष 1996–97 में आरएएस के पद जो सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, नये सृजित पदों आदि द्वारा हुए रिक्त पदों की गणना करते हुए उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध कुल आरएएस के रिक्त पदों का विभाग द्वारा जहां तक नियमानुसार निर्धारण नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम ऐसी स्थिति में यह आदेश देना उचित समझते हैं कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर संबंधित रिक्ति वर्ष के विरूद्ध आरएएस के रिक्त पदों का सही उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार के नियमों/परिपत्रों एवं विधि को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को निस्तारण करें और यदि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 1996–97 के विरूद्ध आरएएस के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो उसकी पदोन्नति पर नियमानुसार विचार करें। साथ ही ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उपर्युक्तानुसार अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य